कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद पत्रांक/मान्यता/ 1444 — 5/

/2016-17

दिनांक 11-4-16

प्रबन्धक,

किङ्स एकेंडमी 225 रीवां रोड,

महेवा, नगर क्षेत्र, इलाहाबाद।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के विषयः 17:सुर्वे और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम—2010 के नियम 15 के उपनियम (4) व विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 14.07.15 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती महोदय / महोदया पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं किंड्स एकेंडमी 225 रीवां रोड, महेवा, नगर क्षेत्र, इलाहाबाद को पत्राचार/ 1.04.2016 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:--

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विविक्षत नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपावंघ 1) और निःशुल्क

और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा। 3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता

सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता

पिता को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा। 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम क धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं ii. iii.

प्राथनिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये की जायेगी। iv.

अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश

दिया जायेगा।

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर vi. न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है, और vii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियम

रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रस्विधाएं निम्नानुसार हैं.-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित्र अप्ति क्रीडा स्थल को भ्रेबफल

Gosaingani, Lucknow





Dehwa, Mohada ini Lucknow-226801